



भारतीय सर्वेक्षण विभाग
SURVEY OF INDIA



दूरभाष Telephone: 0172-2607580

Email : hp.gdc soi@gov.in

हिमाचल प्रदेश भू-स्थानिक आंकड़ा केन्द्र
सर्वे कॉम्प्लेक्स, दक्षिण मार्ग, सैक्टर 32-ए,
चण्डीगढ़-160 030

HIMACHAL PRADESH GEO-SPATIAL DATA CENTRE
SURVEY COMPLEX, DAKSHIN MARG, SECTOR 32-A
CHANDIGARH-160 030.

सं०No.: प्रशा०- 1538 /37-जी-9

दिनांक Dated : 01-06-2020

हि०प्र०भू-स्थानिक आंकड़ा केन्द्र नेमी आदेश सं० 04 दिनांक 01-06-2020

1. एम० ए० सी० पी० / FINANCIAL UPGRADATION UNDER MACP SCHEME – IMPLEMENTATION OF:-

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के पत्र सं. ए-11019/1/2008-सी0 डी0 एन0, दिनांक 08-06-2009 के अन्तर्गत प्राप्त कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय (कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग) के कार्यालय ज्ञापन सं० 35034/3/2008-स्था० (डी) दिनांक 19-05-2009 में निहित अनुदेशों के अनुसरण में इस केन्द्र के निम्नलिखित कर्मचारी को उनके नाम के सामने दर्शाई गई तिथि से पी० बी०-1 रुपये 5200-20500 (लेवल-2) में केन्द्रीय सरकार के सिविल कर्मचारियों के लिए एम० ए० सी० पी० योजना के तहत प्रथम वित्तीय उन्नयन का लाभ स्वीकृत किया जाता है:-

In pursuance of the instruction contained in the Ministry of Personnel, Public Grievances and Pension (Department of Personal & Training) O.M. No. 35034/3/2008-Estt. (D) Dated 19-05-2009 received under Department of Science & Technology's letter No. A-11019/1/2008-CDN Dated 08-06-2009 the following employee is hereby granted **First Financial Upgradation** in the PB 1 Rs. 5200-20500 (Level-2) respectively under the Modified Assured Career Progression (MACP) Scheme for the Central Govt. Civilian Employees in the Scale of pay and effective date shown against each as indicated below:-

क्रम सं० Sl. No.	नाम व पदनाम Name & Designation	वित्तीय उन्नयन पर वेतन बैंड Pay Scale	(MACP) वित्तीय उन्नयन की तिथि Date of MACP	टिप्पणी Remarks
1.	श्री कृपाल सिंह, एम०टी०एस० (खलासी) Sh. Kirpal Singh, MTS (Khalasi)	5200-20500 (लेवल-2) 5200-20500 (Level-2)	01-04-2019	-----

प्रधिकार:- अपर महासर्वेक्षक, उत्तरी क्षेत्र, चण्डीगढ़ का दिनांक 17-12-2019 का पत्र सं० प्रशा०-2339/14-सी-1/डी०एस०सी०/एम०ए०सी०पी०
(Authority:- Northern Zone Office, Chandigarh letter No. Adm-2339/14-C-1/D.S.C./M.A.C.P. dated 17-03-2019)

- उपरोक्त में दर्शाये गए कर्मचारी के वेतन का निर्धारण कार्यालय अध्यक्ष द्वारा किया जाए।
The pay of the above person will be fixed by the Head of Office.
- उपरोक्त कर्मचारी को अपने वेतन निर्धारण के लिए एफ०आर० 22(1)(ए)(1) के तहत अपना विकल्प एक माह के भीतर देना होगा।
The person concerned is required to exercise an option for fixation of pay under FR 22(1)(a)(1) in the new scale of pay on grant of financial upgradation under MACP Scheme within one month
- अतिरिक्त सन्निहित व्यय इस केन्द्र के वर्ष 2020-21 के लिए स्वीकृत बजट अनुदान में से पूरा किया जाएगा तथा समुचित लेखा-शीर्ष के नामें डाला जाएगा।
The extra expenditure involve will be met from within the sanctioned budget grant of this Office for the year 2020-21 and debited to the appropriate Head of Account.

2. स्थानान्तरण पर आये / TRANSFER IN :-

निम्नलिखित अधिकारी का उनके नाम के सामने दर्शाये गये विवरणानुसार इस केन्द्र में स्थानान्तरण पर आये :-

The following Officer has been transferred to this Centre as per detail shown against his name:-

क्रम सं० SI No.	नाम व पदनाम Name & Designation	किस कार्यालय से Transferred from	स्थानान्तरण की तिथि Date of Transfer
1.	श्री अर्जुन सिंह, अधिकारी सर्वेक्षक Sh. Arjun Singh, Officer Surveyor	भारत के महासर्वेक्षक, देहरादून Surveyor General of India, Dehradun	19-02-2020
प्राधिकार:- भारत के महासर्वेक्षक का दिनांक 18-02-2020 का पत्र सं०सी-788/853-SS (Authority:- S.G.'s letter no.C-788/853-SS dated 18-02-2020)			

3. अधीक्षक सर्वेक्षक के पद पर तदर्थ पदोन्नति / Ad-hoc Promotion to the post of Superintending Surveyor :-

इस केन्द्र के निम्नलिखित अधिकारी को वेतन मैट्रिक्स लेवल-11 (पी.बी.-3, ₹-15600-39100+ ग्रेड वेतन 6600) में तदर्थ पदोन्नति, प्राधिकृत पत्र में निहित शर्तों के अनुसार प्रदान की जाती है। यह पदोन्नति विशुद्ध रूप से तदर्थ आधार पर एक वर्ष की अवधि के लिए प्रभार ग्रहण करने की तिथि से या सेवानिवृत्ति जो भी पहले और अगले आदेश जारी होने तक है:-

The following Officer of this Centre is hereby given ad-hoc Promotion to the post of Superintending Surveyor in Level-11 of the pay matrix (pre revised in PB-3, Rs. 15600-39100+GP Rs 6600) as per condition laid down in the authority letter below this promotion purely on Adhoc basis for a period of one year from the date of assuming the charge or retirement whichever is earlier and until further orders:-

क्रम सं० SI No.	नाम व पदनाम Name & Designation	पदोन्नति पर पद Post on Promotion	पदोन्नति की तिथि Date of Promotion
1.	श्री अर्जुन सिंह, अधिकारी सर्वेक्षक Sh. Arjun Singh, Officer Surveyor	अधीक्षक सर्वेक्षक Superintending Surveyor	20-02-2020 (F/N)
प्राधिकार:- भारत के महासर्वेक्षक का दिनांक 18-02-2020 का पत्र सं०सी-788/853-SS (Authority:- S.G.'s letter no.C-788/853-SS dated 18-02-2020)			

- उपरोक्त में दर्शाये गए कर्मचारी के वेतन का निर्धारण कार्यालय अध्यक्ष द्वारा किया जाए।
The pay of the above person will be fixed by the Head of Office.
- उपरोक्त कर्मचारी को अपने वेतन निर्धारण के लिए एफ0आर0 22(1)(ए)(1) के तहत अपना विकल्प एक माह के भीतर देना होगा।
The person concerned is required to exercise an option for fixation of pay under FR 22(1)(a)(1) in the new scale of pay on grant of financial upgradation under MACP Scheme within one month.

3. अतिरिक्त सन्निहित व्यय इस केन्द्र के वर्ष 2020-21 के लिए स्वीकृत बजट अनुदान में से पूरा किया जाएगा तथा समुचित लेखा-शीर्ष के नामें डाला जाएगा।
The extra expenditure involve will be met from within the sanctioned budget grant of this Office for the year 2020-21 and debited to the appropriate Head of Account.


(क० ए० गेवाल) कर्नल
निदेशक

हिमाचल प्रदेश भू-स्थानिक आंकड़ा केन्द्र

वितरण: -

- 1) भारत के महासर्वेक्षक, देहरादून को सूचनार्थ/Surveyor General Of India, Dehradun for Information. (ई-मेल द्वारा)
- 2) अपर महासर्वेक्षक, उत्तरी क्षेत्र, चण्डीगढ़ को सूचनार्थ/Addl. S.G., Northern Zone, Chandigarh for Information. (ई-मेल द्वारा)
- 3) क्षेत्रीय वेतन एवं लेखा अधिकारी, जयपुर को सूचनार्थ/RP&AO, Jaipur for Information (ई-मेल द्वारा)
- 4) प्रभारी विभागीय वेबसाइट, देहरादून को संबंधित टैब में प्रकाशित करने हेतु/Official Website, Dehradun. (adm.n.soi@gov.in)
- 5) प्रभारी आदान एवं लेखा अनुभाग को आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित/Incharge Drawal/Account Section for necessary Action.